न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :— 33 / 2011
GCMS NO. 2011/00028

1. किरोड़ीमल उम्र 52 वर्ष पुत्र सुलतान जाति गूर्जर निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. देवराज उम्र 45 वर्ष पुत्र सुलतान जाति गूर्जर निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

......................वादीगण

— ब ना म —

1. लाली देवी पत्नी स्व. महावीर उम्र 52 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना।

......................प्रतिवादीगण

दावा — खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	अभिभाषक	वादीगण
2. श्री राजेश यादव, श्री प्रदीप सैन	अभिभाषक	प्रति. सं. 1

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक :— 02.06.2025

1. उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 13.07.2015 को पारित कर तहसीलदार बुहाना को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि वाके ग्राम बडबर स्थित जमाबन्दी संवत 2066—69 के अनुसार खाता संख्या 44 की भूमि खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.47 हेक्टेयर का रास्ते छोडते हुए वादी के कब्जे काश्त व राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार नियमानुसार खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बुहाना को 500 रू. के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्त[illegible]डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो [illegible] परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुये विभ[illegible]तारीख पेशी 28.08.2015 से पूर्व इस न्यायालय को भिजवाये। [illegible]ण को जरिये स्थाई [illegible] 5 से पाबन्द किया जावे कि वह गलत रिकार्ड क[illegible]ाड़ में अपने नाम से [illegible] करे, हिस्सा को रहन, बेचान, गिरवी या अन्य किसी प्रकार से हस्तानान्तरित [illegible] ना ही किसी अन्य से करवाये। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार / काश्तकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर / हिस्से / रकबे में दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:08:19 IST
Reason: SelfAttested

2. तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू.अ./2023/84 दिनांक 10.01.2023 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

3. तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.01.2023 (मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01.2023) का अधिवक्ता उभय पक्षकारान को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

4. अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार बुहाना के द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विभाजन प्रस्ताव सही तैयार किया गया है। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वादीगण का वाद अंतिम डिक्री कर दिया जावे।

5. पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.01.2023 (मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01.2023) का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया व प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त परीक्षण किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से पाया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव क्षेत्राधिकार के अनुसार राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार बुहाना के द्वारा दिनांक 10.01.2023 को पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप राजस्व नायब अधिकारी तहसीलदार बुहाना के द्वारा दिनांक 04.01.2023 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–4' व 'ब') के अनुसार वाद वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

7. अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.01.2023 (मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01.2023) (प्रदर्श–'अ–1 से अ–4' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–4' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

8. निर्णय आज दिनांक **02.06.2025** को खुले न्या[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:08:19 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

1. किरोड़ीमल उम्र 52 वर्ष पुत्र सुलतान जाति गूर्जर निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. देवराज उम्र 45 वर्ष पुत्र सुलतान जाति गूर्जर निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

...................वादीगण

– ब ना म –

1. लाली देवी पत्नी स्व. महावीर उम्र 52 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना।

.................प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– **खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट 1955**

मुकदमा नम्बर :– 33 / 2011
GCMS NO. 2011/00028
निर्णय दिनांक :– 02.06.2025

वादीगण की ओर से **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से **श्री राजेश यादव, श्री प्रदीप सैन एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **02.06.2025** को **सुमन देवी (RAS) उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.01.2023 (मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01.2023) (प्रदर्श–'अ–1 से अ–4' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–4' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का [illegible] करवायेंगे।**"**

Signature Not Verified

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:08:19 IST
Reason: SelfAttested

यह आज तारीख **02.06.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)